न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 28/2019

गंगाराम पुत्र हरफूल जाति कोली निवासी नगला धरसौनी तहसील वैर जिला भरतपुर।
.......अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार वैर।,
2. भौती पत्नी हरफूल } जाति कोली निवासी नगला धरसौनी तहसील वैर जिला
3. मोहनसिंह पुत्र हरफूल } भरतपुर।

.......रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 03.07.2015 तहसीलदार वैर बाबत इन्तकाल नम्बर 2570 वाकै ग्राम धरसौनी तहसील वैर जिला भरतपुर।

उपस्थित :-

1--श्री तालेराम, अभिभाषक अपीलान्ट,
2--पेरोकार सरकार रैस्पो0 सं0 1
2--रैस्पो0 सं0 2 व 3 बाबजूद सूचना के अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 27.01.2021

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्व रैस्पोडेन्ट व खिलाफ आदेश तहसीलदार वैर दिनांक 03.07.2015 पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में नामान्तरकरण संख्या 2570 ग्राम धरसौनी तहसील वैर रैस्पो0 संख्या 2 व 3 के हक में स्वीकार किये जाने की आज्ञा दी गई है। नामान्तरकरण संख्या 2570 के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अपील दर्ज रजिस्टर दर्ज की गई। रैस्पो0 की तलवी की गई। रैस्पो0 संख्या 12 व 3 के नोटिस तामील हो जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं आये है। अतः बकील अपीलान्ट एवं रैस्पो0 संख्या 1 पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को मे अपील में अंकित कथनों को दौहराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2570 ग्राम धरसौनी तहसील वैर जो कि अपीलान्ट के नाम विरासत का दर्ज किया गया है। तहसीलदार वैर ने अपीलान्ट के पिता श्री हरफूल की मृत्यु के बाद अपीलान्ट एवं रैस्पो0 संख्या 2 भौती पत्नी हरफूल तथा रैस्पो0 संख्या 3 मोहन सिंह पुत्र हरफूल के हक में विरासत का नामान्तरकरण खोला गया है जिसमें अपीलान्ट गंगाराम का नाम शिब्बू गलत दर्ज कर दिया है। दौराने बहस योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने हमारा ध्यान गंगाराम के भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम का जॉब कार्ड, पैन कार्ड एवं परिवार राशन कार्ड की ओर आकर्षित किया। वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट गंगाराम का नाम पता नहीं कैसे शिब्बू दर्ज हो गया। वकील अपीलान्ट ने विवादित नामान्तरकरण संख्या 2570 में शिब्बू के स्थान पर गंगाराम का नाम दर्ज कराया जाने/संशोधन कराये जाने हेतु तहसीलदार वैर को आदेश दिये जाने की प्रार्थना की।

पैरोकार सरकार ने अपने कथनों में जाहिर किया कि यह जांच का बिन्दु है अतः प्रकरण को जांच हेतु तहसीलदार वैर को भेजा जाना उचित होगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण संख्या 2570 वाके ग्राम धरसौनी तहसील वैर दिनांक 03.07.2015 के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित नामान्तरकरण मृतक हरफूल के विरासत का स्वीकार किया गया है जिसमें स्वर्गीय हरफूल के वारिस के रूप में मोहनसिंह, शिब्बू को पुत्रान तथा भौती को पत्नी दर्ज किया गया है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का कहना है कि स्वर्गीय हरफूल के शिब्बू नाम का कोई पुत्र नही है। शिब्बू का नाम गलत दर्ज कर दिया गया है जबकि सही नाम गंगाराम है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत गंगाराम का भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम का जॉब कार्ड, पैन कार्ड एवं परिवार राशन कार्ड की छायाप्रतियों का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा गलत नामों के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

सम्बन्ध में कारण नहीं बताया है। प्रकरण तहसीलदार वैर को मृतक हरफूल के सही वारिसान के नाम की जांच कर पुनः नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2015 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार वैर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक हरफूल के विरासत के नामान्तरकरण में शिब्बू पुत्र के बारे में पुनः जांच कर साक्ष्य वगैरा लेकर पक्षकारान को सुनवाई का विधिवत अवसर देते हुये पुनः निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)